

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVISED LIST OF BUSINESS

Friday, 04 December, 2015/ Margshirsha 13, 1937 (Saka)
2.00 P.M

1. Special Mention(Rule-280) :

The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair:-

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sh. Anil Kumar Bajpai | 6. Sh. Vishesh Ravi |
| 2. Sh. Vijender Garg | 7. Sh. Girish Soni |
| 3. Smt. Parmila Tokas | 8. Ms. Alka Lamba |
| 4. Sh. Sanjeev Jha | 9. Sh. Jitender Singh Tomar |
| 5. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar) | 10. Sh. Adarsh Shastri |

2. Introduction, Consideration & Passing of Bill :

Shri Manish Sisodia, Dy. Chief Minister to introduce “**The Delhi Value Added Tax (3rd Amendment) Bill, 2015** (Bill No. 23 of 2015)” with the leave of the House.

Also to move that the Bill be considered & passed.

3. Consideration & Passing of Bill :

Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister to move that “**THE DELHI JANLOKPAL BILL, 2015**” (Bill No.16 of 2015) introduced on 30 November 2015 be taken into consideration.

Also to move Government Amendments in the aforesaid Bill.

Dy. Chief Minister to move that the Bill be passed.

Delhi
04 December, 2015

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
संशोधित कार्य सूची

शुक्रवार, 04 दिसम्बर, 2015/ मार्गशीर्ष 13, 1937 (शक)
अपराहन 2.00 बजे

- विशेष उल्लेख (नियम-280) :** निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे :-

1. श्री अनिल कुमार बाजपेयी	6. श्री विशेष रवि
2. श्री विजेन्द्र गर्ग	7. श्री गिरीश सोनी
3. श्रीमती प्रमिला टोकस	8. सुश्री अल्का लाम्बा
4. श्री संजीव झा	9. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
5. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)	10. श्री आदर्श शास्त्री
- विधेयक का पुरःस्थापन, विचार व पारित करना :**
श्री मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री सदन की अनुमति से “दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 23)” को सदन में पुरःस्थापित करेंगे। यह भी प्रस्ताव करेंगे कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाए तथा इसे पारित किया जाए।
- विधेयक पर विचार व पारित करना :**
श्री मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 30 नवम्बर 2015 को सदन में पुरःस्थापित “दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16)” पर विचार किया जाए।
उक्त विधेयक में सरकारी संशोधन भी प्रस्तुत करेंगे।
उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उक्त विधेयक को पारित किया जाए।

दिल्ली
04 दिसम्बर, 2015

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव